(b) and (c) The agenda of the Conference was to discuss and explore, in the light of the characteristics and trends in the global anti-corruption campaign, ways and experience in the prevention and punishment of corruption. At the conclusion of the Conference, there was a broad consensus on the adverse effect of corruption on the social stability and economic development of nations and the need for international cooperation by way of suitable instruments to combat corruption effectively.

पेयजल हेतु धनराशि का उपयोग

*268. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने पेयजल हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अनुदान का उपयोग किन्हीं अन्य कार्यों के लिए किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा० जगन्नाथ मिश्र): (क) जी हां।

(ख) 1994-95 के दौरान जो राज्य त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं कर सके हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिये)**

(ग) किसी भी राज्य सरकार से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पेयजल हेतु निधियों का उपयोग

(रुपए लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल उपलब्ध निधियां (पूर्व वर्षों की उपयोग न की गई धनराशि और 1994-95 के दौरान रिलीज की गई राशि सहित)	खर्च	31.3.95 को अंतिम शेष
1.	आंध्र प्रदेश	5144.00	4065.00	1079.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1070.44	808.08	262.36
3.	असम	2278.10	2000.00	278.10
4.	बिहार	6082.52	3840.26	2242.26
5.	गुजरात	4184.58	4104.77	79.81
6.	हरियाणा	2423.96	2111.25	312.71
7.	हिमाचल प्रदेश	1227.85	1126.15	101.70
8.	जम्मू व कश्मीर	4629.92	3940.79	689.13

(रुपए लाख में)

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल उपलब्ध निधियां (पूर्व वर्षों की उपयोग न की गई धनराशि और 1994-95 के दौरान रिलीज की गई राशि सहित)	खर्च	31.3.95 को अंतिम शेष
9.	कर्नाटक	4430.96	4058.42	372.54
10.	केरल	3038.07	1086.41	1951.66
11.	मध्य प्रदेश	5185.09	4945.97	239.12
12.	महाराष्ट्र	8561.73	5943.41	2618.32
13.	मणीपुर	467.83	374.53	93.30
14.	मेघालय	921.00	412.60	508.40
15.	नागालैंड	656.99	21.17	635.82
16.	राजस्थान	8916.14	8375.30	540.84
17.	सिक्किम	465.00	372.00	93.00
18.	तमिलनाडु	4614.88	2777.10	1837.78
19.	त्रिपुरा	1002.45	766.17	236.28
20.	उत्तर प्रदेश	10078.00	7405.96	2672.04
21.	पश्चिम बंगाल	4096.78	3781.72	315.06
22.	अण्डमान व निकोबार	4.40	—	4.40
23.	दादर व नगर हवेली	55.00	—	55.00
24.	दमन व द्वीव	20.79	—	20.79
25.	दिल्ली	8.00	—	8.00
26.	पांडीचेरी	31.20	19.00	12.20

निधियों को जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों को स्वच्छ पेयजल सप्लाई हेतु वार्षिक आवंटन की 25% तक की उपयोग न की गई निधियों को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने की अनुमति है। वार्षिक आवंटन की 25% की अनुमेय सीमा से अधिक राशि अगले वर्ष ले जाने की स्थिति में इस अधिक राशि के बराबर की राशि उस वर्ष के लिए जारी की जाने वाली अंतिम किश्त में से काट ली जाती है। केवल केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा की राज्य सरकारें 25% की निर्धारित सीमा से अधिक राशि अगले वर्ष में ले गई थीं।

Employment for qualified science and technology manpower

*269. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the late Prime Minister Smt. Indira Gandhi in her address to the 69th session of Indian Science Congress at Bangalore had called for a three pronged strategy to remedy